पत्रांक–म०भो० / को०–241 / 2010..3866../

बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी,
—सह—
प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना,
मधेपुरा।

पटना, दिनांक ..15.3.11..

विषयः मधेपुरा जिला अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, नया गाँव, प्रखंड–शंकरपुर में मध्याह्न भोजन में शिकायत के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राथमिक विद्यालय, नया गाँव, प्रखंड–शंकरपुर में विगत दो माह की औसत उपस्थिति प्रतिवेदन 191–192 थी। आपके द्वारा निरीक्षण करने दिन उपस्थित पंजी के अनुसार 150 थी। लेकिन भौतिक उपस्थिति 143 थी। इससे प्रतीत होता है कि उक्त विद्यालय में लगभग 40–50 बच्चों की अधिक उपस्थिति नियमित तरीके से दर्शाई जा रही है।

2. अतः इस संबंध में आपको निदेश दिया जाता है कि उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक से 40–50 बच्चों की मध्याह्न भोजन योजना की राशि एवं खाद्यान्न का मूल्य राज्य खाद्य निगम के खुली बाजार की दर से वापस ले तथा जिला शिक्षा अधीक्षक, मधेपुरा से विद्यालय के प्रधानाध्यापक के विरूद्ध लघु दंड के लिए पत्र दें।

अनुलग्नकः यथोपरि।

(राहुल सिंह)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।